जगजीत सिंह **बनाम** किरणदीप कौर आदि
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट नम्बर 03 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/148

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.08.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 42/37 के मुरब्बा नम्बर 24, 30 की कुल 2.625 हैक्टेयर भूमि में से 0.332 हैक्टेयर भूमि धर्मेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी केसरीसिंहपुर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अपनी उक्त समस्त 0.332 हैक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलान्ट जगजीत सिंह के पक्ष में दिनांक 28.01.2019 को निष्पादित करवा दी थी। भूमि रहन होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका। परन्तु विक्रेता धमेन्द्र सिंह के फौत होने के पश्चात पंजीकृत बैयनामा का नामान्तरण दर्ज करवाने की बजाय रेस्पोडेन्टगण के द्वारा उक्त भूमि का विरास्तन नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। अतः ग्राम पंचायत 3 टी के विरास्तन इन्तकाल संख्या 445 दिनांक 17.09.2019 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष निष्पादित पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.01.2019 धमेन्द्र सिंह बहक जगजीत सिंह के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में अपील, अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। लिहाजा बैयनामा दिनांक 28.01.2019 धर्मेन्द्र सिंह बहक जगजीत सिंह उपपंजीयक श्रीकरणपुर द्वारा पंजीबद्व है। जिसका नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु ग्राम पंचायत 3 टी के द्वारा धमेन्द्र सिंह के फौत होने के पश्चात विरास्तन नामान्तरण 445 दिनांक 17.09.2019 दर्ज कर दिया गया। जो विधिसगंत नहीं है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट भली–भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 3 टी के विरास्तन इन्तकाल संख्या 445 दिनांक 17.09.2019 को निरस्त किया जाकर पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.01.2019 धमेन्द्र सिंह बहक जगजीत सिंह की रूह से चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 42/37 के मुरब्बा नम्बर 24, 30 की कुल 2.625 हैक्टेयर भूमि में से 0.332 हैक्टेयर भूमि का खातेदार अपीलान्ट जगजीत सिंह को घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)